भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2153

उत्तर देने की तारीख: 12.05.2016

सरकारी स्कूलों में निःशक्त बच्चों के लिए विशेष शिक्षक

2153. श्री अविनाश पांडेः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने निःशक्त बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सरकारी स्कूलों में पर्याप्त संख्या में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए कोई दिशा-निर्देश या नीतियां बनाई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) और (ख): जी, हां। सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), जिसमें कक्षा I से VIII के छात्र शामिल हैं, में संसाधन केन्द्र पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए 2 संसाधन व्यक्तियों के प्रावधान के मानक हैं। ये संसाधन व्यक्ति जहां सीडब्ल्यूएसएन नामांकित किए जाते हैं, वहां स्कूलों के किसी समूह को शामिल करते हुए भ्रमणशील पद्धति से कार्य कर सकते हैं। ये संसाधन व्यक्ति नियमित कक्षा-कक्षों में सीडब्ल्यूएसएन के शिक्षण एवं प्रबंधन में सामान्य शिक्षा शिक्षकों को सलाह देते हैं।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत माध्यमिक स्तर पर नि:शक्त बच्चों की समावेशी शिक्षा (आईईडीएसएस) घटक में सरकारी, स्थानीय निकाय और सरकारी सहायता-प्राप्त स्कूलों में कक्षा IX से XII में पढ़ने वाले सभी बच्चे शामिल हैं। मानकों के अनुसार किसी सरकारी या सरकारी सहायता-प्राप्त स्कूल में जहां नि:शक्ततायुक्त बच्चों की संख्या पांच से अधिक है, वहां एक विशेष शिक्षक की नियुक्ति की जा सकती है। यदि किसी स्कूल में ऐसे बच्चों की संख्या 5 से कम है, तो विशेष शिक्षक स्कूलों के एक समूह के लिए क्लस्टर में कार्य कर सकता है।

*****